

07/02/25

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक एवं प्राथमिक  
के अधिवक्ता को बार-बार आवाज  
दिखानी गयी। जो हाजिर नहीं है।  
अतः अहम हाजरी एवं अहम पत्र  
में ~~पत्र~~ प्राथमिक-पत्र खारिज किया  
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  
है। बाद जाया कार्रवाई दायिम  
दफ्तर है।

(दमयन्ती ठेंकर)  
अध्यापक अधिकारी  
कसेरपुर-सीकर(राज.)

